# दूरस्थ मतदान सुविधा

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने पायलट आधार पर प्रवासी श्रमिकों को दूरस्थ रूप से मतदान करने की अनुमति देने की संभावना का पता लगाने के लिये एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

- ECI के अनुसार, प्रवासी श्रमिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में आने वाली समस्याओं को देखने के लिये एक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।
- वर्ष 2020 में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने रिमोट वोटिंग को सक्षम करने के लिये ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने का विचार भी प्रस्तावित किया। इसका उद्देश्य मतदान में भौगोलिक बाधाओं को दूर करना है।
- आयोग रिमोट वोटिंग की संभावना पर विचार कर रहा है जिससे लोग अपने कार्यस्थल से मतदान कर सकेंगे।
- वर्तमान में पोस्टल बैलेट केवल सेवा प्रदान करने वाले मतदाताओं के लिये हैं जैसे कि सेना के जवान जो वोट देने के लिये अपने क्षेत्र में वापस नहीं आ सकते।

## रिमोट वोटिंग क्या है?

- दूरस्थ मतदान किसी नियत मतदान केंद्र के अलावा कहीं और व्यक्तिगत रूप से हो सकता है या किसी अन्य समय पर हो सकता है या वोट डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं या नियुक्त प्रॉक्सी द्वारा डाले जा सकते हैं।
- विभिन्न राजनीतिक दलों से मांग की गई है कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवासी श्रमिक, एनआरआई (अनिवासी भारतीय) जो मतदान से चूक जाते हैं, क्योंकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये चुनाव के दौरान घर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, उन्हें जिस शहर में वे काम कर रहे हैं, वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

## वोटिंग में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

- चुनाव सुरक्षा, मतदाता पंजीकरण इंटिग्रिटी, मतदान पहुँच और मतदान पर बढ़ती चिंता ने सरकारों को आवश्यक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास और भागीदारी बढ़ाने के साधन के रूप में ब्लॉकचेन-आधारित मतदान प्लेटफॉर्मों पर विचार करने के लिये प्रेरित किया है।
- 1970 के दशक से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग अलग-अलग रूपों में किया गया है, जिसमें कागज़-आधारित प्रणालियों जैसे कि बढ़ी हुई दक्षता और कम त्रुटियों पर मूलभूत लाभ हैं। वर्तमान में, प्रभावी ई-वोटिंग के लिये ब्लॉकचेन की व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है।
- यहाँ तक कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आयोग ने सेवा क्षेत्र (जिसमें सशस्त्र बलों, केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों और विदेशों में भारतीय मिशनों में तैनात केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं) से जुड़े मतदाताओं के लिये एकतरफा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) ) का उपयोग किया था है।
- ब्लॉकचेन के विकेंद्रीकृत, पारदर्शी, अपरिवर्तनीय और एन्क्रिप्टेड गुण संभावित रूप से चुनाव छेड़छाड़ को कम करने और मतदान पहुँच को अधिकतम करने में मदद कर सकते हैं।

## संभावित कार्य:

- एक ब्लॉकचेन रिमोट वोटिंग प्रक्रिया में कार्यक्रम स्थल पर एक बहुस्तरीय आईटी-सक्षम प्रणाली (बायोमेट्रिक्स और वेब कैमरों की मदद से) का उपयोग करके मतदाता पहचान जारी करना शामिल होगा।
- सिस्टम द्वारा मतदाता की पहचान स्थापित करने के बाद, एक ब्लॉकचेन-सक्षम व्यक्तिगत ई-बैलेट पेपर (स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट) तैयार किया जाएगा।
- जब वोट डाला जाता है (स्मार्ट अनुबंध निष्पादित), तो मतपत्र सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट किया जाएगा और एक ब्लॉकचेन हैशटैग (#) उत्पन्न होगा। यह हैशटैग अधिसूचना विभिन्न हितधारकों यानी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को भेजी जाएगी।

## रिमोट वोटिंग की आवश्यकता क्यों है?

- **प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण:** मतदाता अपने पंजीकरण के स्थान से शहरों और अन्य स्थानों पर शिक्षा, रोज़गार और अन्य उद्देश्यों के लिये प्रवासन करते हैं। उनके लिये वोट डालने के लिये अपने पंजीकृत मतदान केंद्रों पर लौटना मुश्किल हो जाता है।
    - यह भी देखा किया गया कि उत्तराखंड के दुमक और कलगोठ जैसे गाँवों में, लगभग 20-25% पंजीकृत मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपना वोट डालने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें नौकरी या शैक्षिक कारण से मोटे तौर पर अपने गाँव/राज्य से बाहर जाना पड़ता है।
- **मतदान प्रतिशत में कमी:** वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान, कुल 910 मिलियन मतदाताओं में से लगभग 300 मिलियन नागरिकों ने अपना वोट नहीं डाला।
    - लगभग 30 करोड़ मतदाता हैं जिन्होंने विभिन्न और स्पष्ट कारणों से मतदान नहीं किया था।
- **महानगरीय क्षेत्रों के बारे में चिंताएँ:** चुनाव आयोग ने शहरी क्षेत्रों में किसी भी मतदाता के लिये 2 किमी. के भीतर मतदान केंद्र स्थापित किये जाने के बावजूद कुछ महानगरों/शहर क्षेत्रों में कम मतदान के बारे में चिंता व्यक्त की। शहरी क्षेत्रों में मतदान की उदासीनता को दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई।
- **असंगठित श्रमिकों का बढ़ता पंजीकरण:** लगभग 10 मिलियन प्रवासी श्रमिक हैं, जो असंगठित क्षेत्र के लिये हैं, जो सरकार के ई-श्रम पोर्टल के साथ पंजीकृत हैं। यदि रिमोट वोटिंग परियोजना को लागू किया जाता है, तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।
- **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:** मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि वे भी मुख्य विचार-विमर्श बन रहे हैं। इस संदर्भ में दूरस्थ मतदान सुविधा के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी।

## रिमोट वोटिंग से जुड़ी कमियाँ क्या हैं?

- **सुरक्षा:** कोई भी नई प्रौद्योगिकी प्रणाली, जिसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और अन्य पर आधारित प्रणाली शामिल है, साइबर हमलों और अन्य सुरक्षा कमज़ोरियों के प्रति संवेदनशील हैं।
    - प्रौद्योगिकी-आधारित मतदान प्रणाली में गोपनीयता जोखिम और चिंताएँ भी शामिल हो सकती हैं।
- **सत्यता और सत्यापन:** इसके अलावा यूएक मतदाता सत्यापन प्रणाली जो बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, जैसे कि चेहरे की पहचान, मतदाता पहचान में सकारात्मक या नकारात्मक झूठी जानकारी दे सकती है, इस प्रकार से धोखाधड़ी को बल मिलता है।
- **इंटरनेट कनेक्शन और मालवेयर सुरक्ष:** सुरक्षा हेतु विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन वाले मतदाताओं पर निर्भरता है। इंटरनेट की पहुँच और उपलब्धता और ई-सरकारी सेवाओं का उपयोग कुछ देशों तक ही सीमित है।
    - मतदाताओं के उपकरणों पर सॉफ्टवेयर त्रुटियाँ या मालवेयर भी वोट कास्टिंग को प्रभावित कर सकते हैं।
- **गोपनीयता:** मतदाता गोपनीयता और अंतिम परिणामों की अखंडता की रक्षा के लिये चुनावों में हमेशा उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। चुनावों की सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने का मतलब है कि ऑनलाइन वोटिंग तकनीक से उन बाधाओं को दूर करना होगा जो मतदाता की गोपनीयता के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।
- **पसंदीदा वातावरण:** यह भी संभव है कि मतदान अनियंत्रित वातावरण में हो। यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से और बिना जबरदस्ती के मतदान करे।
    - एक जोखिम यह है कि कोई अन्य व्यक्ति मतदाता की ओर से मतदान करता है, इसलिये मतदाता की पहचान करना मुश्किल है।

## आगे की राह

- **कानूनी ढाँचा:** चुनाव, कई अन्य सरकारी प्रक्रियाओं की तरह, कानूनों के एक सेट के अनुसार करवाए जाते हैं, जो आमतौर पर एक संविधान या चुनावी कोड में निर्धारित होते हैं। इनमें से कई का कानूनी ढाँचे में स्पष्ट विवरण होता है कि चुनाव के दौरान मतपत्र कैसे डाले जा सकते हैं और उन मतपत्रों में क्या शामिल है।
- **चुनाव की सत्यनिष्ठा बनाए रखना:** एक ऑनलाइन मतदान प्रणाली को यह सत्यापन प्रदान करने में भी सक्षम होना चाहिये कि उसने सफलतापूर्वक चुनाव की अखंडता बनाए रखी है और मतदान या मिलान प्रक्रिया के दौरान कोई हेरफेर नहीं हुआ है।
- **हितधारकों की स्वीकार्यता:** यह महत्त्वपूर्ण है कि रिमोट वोटिंग की किसी भी प्रणाली को चुनावी प्रणाली के सभी हितधारकों - मतदाताओं, राजनीतिक दलों और चुनाव मशीनरी के विश्वास और स्वीकार्यता को ध्यान में रखना होगा, अधिकारियों को सीखना होगा ने समिति को सूचित किया है। राजनीतिक सहमति रिमोट वोटिंग शुरू करने का एक रास्ता है।
- **विश्वास और पारदर्शिता:** यहाँ तक कि सभी उचित कानूनी ढाँचे के साथ, एक ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली का उपयोग करना व्यर्थ होगा यदि सरकार या आम जनता इसकी सुरक्षा, अखंडता और सटीकता में आश्वस्त नहीं थी।
    - इस कारण से ऑनलाइन वोटिंग तकनीक की पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अंतिम परिणामों में विश्वास बनाने में मदद करने के लिये कई पारदर्शिता उपायों को विकसित करना होगा।
- **अन्य प्रस्तावित सुधार:** स्थायी समिति उन प्रमुख चुनावी सुधारों पर विचार कर रही है जो प्रस्तावित किये गए हैं, जिसमें आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना शामिल है। समिति ने तीन अन्य प्रस्तावित चुनावी सुधारों को भी लेने का फैसला किया है, जिसमें रिमोट वोटिंग, झूठे हलफनामे दाखिल करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई और ग्राम पंचायत से संसद तक सभी चुनाव कराने के लिये एक आम मतदाता सूची शामिल है।

## निष्कर्ष

रिमोट वोटिंग सुविधा की अवधारणा एक उल्लेखनीय पहल है, इसके अलावा इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में और अधिक मूल्य जोड़ने की संभावना है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों पर काम किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम में उचित जांच और संतुलन हो ताकि मतदान हो सके। रिमोट से मतलब फ्री एंड फेयर के साथ-साथ हर तरह से सुरक्षित चुनाव हो।

## सिविल सेवा परीक्षा पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

**निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (वर्ष 2017)**

1. भारत का चुनाव आयोग पांच सदस्यीय निकाय है।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उप-चुनाव दोनों के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3

**उत्तर: D**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/remote-voting-facility